



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु  
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018  
( केम्प कोर्ट, जाखड़ा)

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/196  
प्रार्थी बनाम

दिनांक:- 14/05/2018  
विप्रार्थीगण

1. श्रीमती गीता पत्नी गोमाराम वगैरा 3  
जातियान् भाट निवासीयान् दानपुरा,  
जाखड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

1. श्री भीमाराम पुत्र रूघाराम वगैरा 11  
निवासीयान् दानपुरा, जाखड़ा तहसील गिड़ा  
जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 254/17

आदेश

मौजा दानपुरा पटवार हल्का जाखड़ा के खेत खसरा नम्बर 465/38 रकबा 32.00 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भूअनिरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के चारो तरफ सेढा पडौसीयो को नोटिस देने के बाद, प्रार्थीगण से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर व सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)

उपखण्ड अधिकारी बायतु

दिनांक:- 14 /05/2018

क्रमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/197-201  
प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्रीमती गीता पत्नी गोमाराम वगैरा 3।
4. विप्रार्थी श्री भीमाराम पुत्र रूघाराम वगैरा 11।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु